

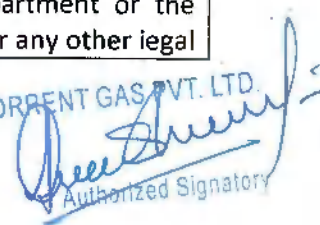
सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा।

विषय:- जनपद इटावा में प्रस्तावक विभाग मेमर्स टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर कुल 1.46265 हे० क्षेत्रफल में भूमिगत गैस पाइप लाईन बिछाई जाने हेतु संरक्षित वनभूमि में गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० एफपी/यू०पी०/पाइपलाइन/152073/2022)

सन्दर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्रांक संख्या-305/81-2-2022-800(307)/2022 दिनांक 12.09.2022।

क्रम संख्या	शर्तें	अनुपालन की स्थिति
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	As per compliance 1, Torrent Gas Pvt. Ltd. hereby undertakes that as per Forest (Conservation) Act, 1980 legal status of the forest land will not be changed.
2	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only thorough e-portal.	As per compliance 2, Torrent Gas Pvt. Ltd. hereby undertakes that the entire amount has been submitted to CAMPA fund thorough e-portal and challan copy for the same has been attached.
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	As per compliance 3, Torrent Gas Pvt. Ltd. hereby undertakes that the complete compliance of the FRA, 2006 will be submitted in prescribed format before final approval of proposal.
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provision of the Environmental (Protection) Act. 1986 if Applicable.	As per compliance 4, In this proposal as per the provision of the Environmental (Protection) Act. 1986; Environment Clearance is not applicable.
5	The lay out plan of the proposai shall not be changed without prior approval of Central Government.	As per compliance 5, Torrent Gas Pvt. Ltd. hereby undertakes that the layout plan will not be changed without prior approval of Central Government.
6	No labour camps shall be established on the forest land.	As per compliance 6, Torrent Gas Pvt. Ltd. hereby undertakes that the labour camps will not be established on the forest land.
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	As per compliance 7, Torrent Gas Pvt. Ltd. hereby undertakes that the sufficient firewood, preferably the alternate fuei, will be provided by the Torrent Gas Pvt. Ltd. to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

		source of alternate fuel.
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or project life, whichever is less.	As per compliance 8, Torrent Gas Pvt. Ltd. hereby undertakes that the period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the Torrent Gas Pvt. Ltd. or the project life, whichever is less.
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt of India.	As per Compliance 9, Torrent Gas Pvt. Ltd. hereby undertakes that the forest land proposed to be diverted will not be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
10	Violation of any these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	As per Compliance 10, Torrent Gas Pvt. Ltd. hereby undertakes that we will not violate any these conditions if unfortunately any conditions violated by Torrent Gas Pvt. Ltd., Then we will follow action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
11	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	As per compliance 11, Torrent Gas Pvt. Ltd. hereby undertakes that to follow any other conditions that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	As per compliance 12, All the compliance report will be uploaded online thorough e-portal (https://parivesh.nic.in/) by Torrent Gas Pvt. Ltd.
13	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे।	शर्त संख्या 13, के अनुपालन में टॉरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे।
14	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन हेतु खोदे जाने वाले ट्रेन्च की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	शर्त संख्या 14, के अनुपालन में टॉरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन हेतु खोदे जाने वाले ट्रेन्च की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं की जाएगी।
15	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा की भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या 15, के अनुपालन में टॉरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टॉरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू-क्षरण की सम्भावना नहीं होगी।
16	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या 16, के अनुपालन में टॉरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टॉरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। तथा परियोजना में

For - TORRENT GAS PVT. LTD

[Signature]
Authorized Signatory

		किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
17	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त संख्या 17, के अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रभावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी	शर्त संख्या 18, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।	शर्त संख्या 19, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।
20	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या 20, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा।
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त संख्या 21, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त संख्या 22, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।
23	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ती/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	शर्त संख्या 23, के अनुपालन में पर्यावरणीय अनापत्ती अनुमोदन प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं है।
24	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में	शर्त संख्या 24, के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

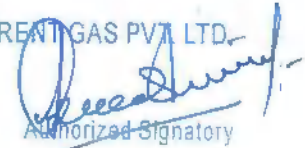
	सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है इसलिये प्रस्तावित परियोजना में मा0 उच्चतम न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	शर्त संख्या 25, के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र जिसमें वन सीमाओं का विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है उसे प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
26	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।	शर्त संख्या 26, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर इसके लिये धनराशि नियमानुसार जमा कर दी जायेगी।
27	नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह की जारी अनुमति रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	शर्त संख्या 27, के अनुपालन में नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह की जारी अनुमति रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।
28	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना (वन्य जीव) के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	शर्त संख्या 28, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस-पास किसी भी प्रकार की फ्लोरा (वनस्पति)/फाना (वन्य जीव) की हानि नहीं हो रही है। यदि हानि होती है तो टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 इस हानि के लिए जिम्मेदार होंगे, अतः टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
29	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	शर्त संख्या 29, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा, तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन किया जायेगा।
30	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	शर्त संख्या 30, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन ही होगी।

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

[Signature]
Authorized Signatory

31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के क्रम भारत सरकार द्वारा रिवाइज आदेश दिनांक 06.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management And Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 31, के अनुपालन में Online, forest clearance.nic.in ij e-payment portal के माध्यम से टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० सं०-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 तथा संशोधित पत्र सं०-5-3/2011 FC(Vol-I) दिनांक 06-01-2022 तथा 19-01-2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) उ०प्र०, एन०ई०एफ०टी० के द्वारा कैम्पा, खाता सं०-1509072152073148 आई० एफ० एस० सी० कोड-UBIN0996335, 'यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, लोधी काम्पलेक्स ब्रान्च, ब्लाक-11, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, फेस-1, लोधी रोड, नई दिल्ली के पक्ष में निम्न प्रकार प्रेषित कर दी गयी है।
32	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में DFO द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 32, के अनुपालन में उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में DFO द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
33	प्रश्नगत विधिवत स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, स्वयं उत्तरदायी होंगे।	शर्त संख्या 33, के अनुपालन में प्रश्नगत विधिवत स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, स्वयं उत्तरदायी होंगे।

For - TORRENT GAS PVT. LTD.


Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

Condition No. 1

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Laying of Gas Pipeline along Etawah-Kanpur NH-2 Road (New NH-19), from CH. No. 348.000 to CH. No. 323.55, RHS, in District: - Etawah (U.P). As per compliance 1, **Torrent Gas Pvt. Ltd.** hereby undertakes that as per Forest (Conservation) Act, 1980 legal status of the forest land will not be changed.

C.S.

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(Authorized Signatory)

Torrent Gas Pvt. Ltd.

Condition No. 2

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Laying of Gas Pipeline along Etawah-Kanpur NH-2 Road (New NH-19), from CH. No. 348.000 to CH. No. 323.55, RHS, in District: - Etawah (U.P). As per compliance 2, **Torrent Gas Pvt. Ltd.** hereby undertakes that the entire amount has been submitted to CAMPA fund thorough e-portal and challan copy for the same has been attached.

C.S.

(अतुल कोन्त-शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(Authorized Signatory)

Torrent Gas Pvt. Ltd.

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Pipeline/152073/2022 (./viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/152073/2022) Laying of Gas Pipeline along Etawah-Chakeri Road (NH-19), from Bamhora Humyounpur (Auraiya District Boundary) to Near Reliance Pump Etawah in Between CH. No. 348+000 to CH. No. 323+55 (RHS) in District Etawah.	PIPELINE1520732022148	72152073148	12 Sep 2022	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1400897/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1400897/-	 Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :20 Sep 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :21 Sep 2022 Transaction Date :12 Oct 2022	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/190920221706322437_FPUPPipeline1520732022_User_Fund_Demanded_KS894.px) Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=PIPELINE1520732022148)



(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)

(HTTP://WWW.NIC.IN/)



© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
 Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi
 monitoring-fc(at)nic(dot)in

For - TORRENT GAS PVT. LTD.
 Authorized Signatory

C.S.
 (अतुल कान्त शुक्ला)
 प्रभागीय निदेशक
 समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

Condition No. 3

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Laying of Gas Pipeline along Etawah-Kanpur NH-2 Road (New NH-19), from CH. No. 348.000 to CH. No. 323.55, RHS, in District: - Etawah (U.P). As per compliance 3, **Torrent Gas Pvt. Ltd.** hereby undertakes that the complete compliance of the FRA, 2006 will be submitted in prescribed format before final approval of proposal.

C.S.

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(Authorized Signatory)

Torrent Gas Pvt. Ltd.

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector
Etawah(U.P.)
For linear projects

Ref.No. 1674/14-1

Date: 23/11/22

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Rules 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the forest (conservation) amendment Rules 2014, Forest (conservation) Second Amendment Rules 2014, and Forest (conservation) Amendment Rule 2016] it is certified that 1.46265 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Torrent Gas Pvt Ltd Kanpur** (name of user agency) for lying CNG/PNG pipeline (purpose for diversion of Forest land) falls within the jurisdiction of **district Etawah**, Sarai Jalal, Bijauli, Karwa bujurg, Bakewar dehat, Mahewa and Sarai Mitthe village (s) in Etawah (Sadar) and Bharthana Tehsil, having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

- a) The Protected Forest namely Etawah-Kanpur road involved in the above villages are plantations raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as **PF vide notification no(s) 1115/XIV-331-50 dated 10-Feb-1960.**
- b) Therefore these PFs neither have residing Schedule tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in PFs for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

Encl-As above


(रविन्द्र कुमार शशि)
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास),
इटावा।


(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा।


(जय प्रकाश)
अपर जिलाधिकारी,
इटावा।


(अवनीश राय)
जिलाधिकारी,
इटावा।

Condition No. 4

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Laying of Gas Pipeline along Etawah-Kanpur NH-2 Road (New NH-19), from CH. No. 348.000 to CH. No. 323.55, RHS, in District: - Etawah (U.P). As per compliance 4, In this proposal as per the provision of the Environmental (Protection) Act. 1986, Environment Clearance is not applicable.

C.S.

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(Authorized Signatory)

Torrent Gas Pvt. Ltd.

Condition No. 5

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Laying of Gas Pipeline along Etawah-Kanpur NH-2 Road (New NH-19), from CH. No. 348.000 to CH. No. 323.55, RHS, in District: - Etawah (U.P). As per compliance 5, **Torrent Gas Pvt. Ltd.** hereby undertakes that the layout plan will not be changed without prior approval of Central Government.

C.S.

(अतुल कोस्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(Authorized Signatory)

Torrent Gas Pvt. Ltd.

Condition No. 6

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Laying of Gas Pipeline along Etawah-Kanpur NH-2 Road (New NH-19), from CH. No. 348.000 to CH. No. 323.55, RHS, in District: - Etawah (U.P). As per compliance 6, **Torrent Gas Pvt. Ltd.** hereby undertakes that the labour camps will not be established on the forest land.

C.S

(अशुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समानिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(Authorized Signatory)

Torrent Gas Pvt. Ltd.

Condition No. 7

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Laying of Gas Pipeline along Etawah-Kanpur NH-2 Road (New NH-19), from CH. No. 348.000 to CH. No. 323.55, RHS, in District: - Etawah (U.P). As per compliance 7, **Torrent Gas Pvt. Ltd.** hereby undertakes that the sufficient firewood, preferably the alternate fuel, will be provided by the Torrent Gas Pvt. Ltd. to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

C.S.

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(Authorized Signatory)

Torrent Gas Pvt. Ltd.

Condition No. 8

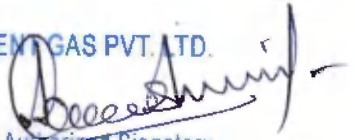
UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Laying of Gas Pipeline along Etawah-Kanpur NH-2 Road (New NH-19), from CH. No. 348.000 to CH. No. 323.55, RHS, in District: - Etawah (U.P). As per compliance 8, **Torrent Gas Pvt. Ltd.** hereby undertakes that the period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the Torrent Gas Pvt. Ltd. or the project life, whichever is less.

C.S.

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.


Authorized Signatory

(Authorized Signatory)

Torrent Gas Pvt. Ltd.

Condition No. 9

UNDERTAKING

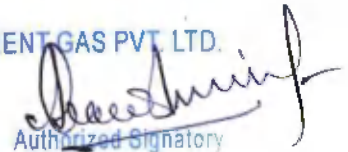
Proposed protected forest land to be diverted for Laying of Gas Pipeline along Etawah-Kanpur NH-2 Road (New NH-19), from CH. No. 348.000 to CH. No. 323.55, RHS, in District: - Etawah (U.P). As per compliance 9, **Torrent Gas Pvt. Ltd.** hereby undertakes that the forest land proposed to be diverted will not be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

C.S.



(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.



Authorized Signatory

(Authorized Signatory)

Torrent Gas Pvt. Ltd.

Condition No.10

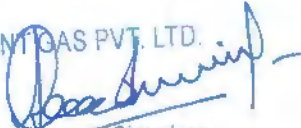
UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Laying of Gas Pipeline along Etawah-Kanpur NH-2 Road (New NH-19), from CH. No. 348.000 to CH. No. 323.55, RHS, in District: - Etawah (U.P). As per compliance 10, **Torrent Gas Pvt. Ltd.** hereby undertakes that we will not violate any these conditions if unfortunately any conditions violated by Torrent Gas Pvt. Ltd., Then we will follow action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

C-5

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.


Authorized Signatory

(Authorized Signatory)

Torrent Gas Pvt. Ltd.

Condition No. 11

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Laying of Gas Pipeline along Etawah-Kanpur NH-2 Road (New NH-19), from CH. No. 348.000 to CH. No. 323.55, RHS, in District: - Etawah (U.P). As per compliance 11, **Torrent Gas Pvt. Ltd.** hereby undertakes that to follow any other conditions that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

C.S

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(Authorized Signatory)

Torrent Gas Pvt. Ltd.

Condition No. 12

UNDERTAKING

Proposed protected forest land to be diverted for Laying of Gas Pipeline along Etawah-Kanpur NH-2 Road (New NH-19), from CH. No. 348.000 to CH. No. 323.55, RHS, in District: - Etawah (U.P). As per compliance 12, all the compliance report will be uploaded online thorough e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) by Torrent Gas Pvt. Ltd.

C. S.

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(Authorized Signatory)

Torrent Gas Pvt. Ltd.

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाये जायेंगे।

C.S.
(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं की जाएगी।

C.S.

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

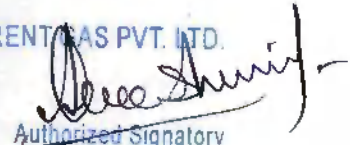
वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू-क्षरण की सम्भावना नहीं होगी।

C.S.

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.


Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

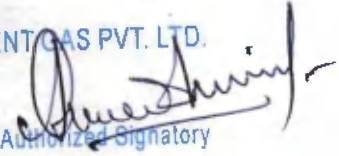
शर्त संख्या 16

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। तथा परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

C-5
(अतुल कुमार गुप्ता)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.


Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि प्रभावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

C.S.

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD

Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

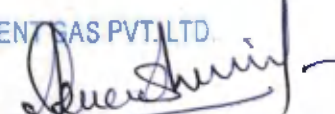
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।

C.S.
(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.


Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।

C-S.

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक

समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा किया जायेगा।

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(अतुल कोन्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

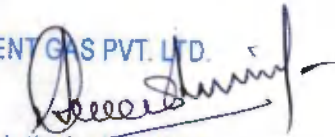
वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

C.S.


(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.


Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

शर्त संख्या 23

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु शर्त संख्या 23, के अनुपालन में पर्यावरणीय अनापत्ती अनुमोदन प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं है।

C.S.

(अतुल कान्त-शुक्ला)

प्रभागीय निदेशक

समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD

Authorized Signatory

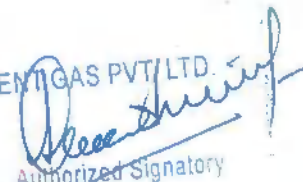
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है इसलिये प्रस्तावित परियोजना में मा० उच्चतम् न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

C.S.
(अतुल कोन्स शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

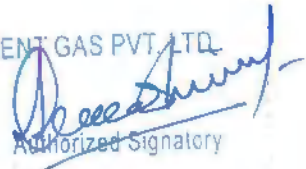
प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र जिसमें वन सीमाओं का विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है उसे प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है ।

C-5.



(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.


Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर इसके लिये धनराशि नियमानुसार जमा कर दी जायेगी।

C.S.

(अतुल कोन्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु नोडल अधिकारी, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह की जारी अनुमति रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

C-S

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक

समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस-पास किसी भी प्रकार की फलोरा (वनस्पति)/फाना (वन्य जीव) की हानि नहीं हो रही है। यदि हानि होती है तो टोरेन्ट गैस प्रा० लि० इस हानि के लिए जिम्मेदार होंगे, अतः टोरेन्ट गैस प्रा० लि० फलोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

C.S.

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा, तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन किया जायेगा।

For - TORRENT GAS PVT. LTD

Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

C.S.

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक

समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन ही होगी।

C.S.

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर जिला-इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण की धनराशि रू० 00.00 ई-चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा करा दी गयी है एवं इसका चालान भी संलग्न कर दिया गया है।

क्रम सं०	विवरण/मद	धनराशि (रू०में)	फण्ड ट्रांसफर का प्रकार	दिनांक	यू०टी०आर० नं०
1	2	3	4	5	7
1	शर्त संख्या-31 के अनुपालन में संरक्षित वनभूमि 1.46265 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य (भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2011 FC(Vol-I) दिनांक 06-01-2022 तथा 19-01-2022 के अनुसार 9.57780 लाख प्रति हे० की दर से)/(एन०पी०वी०)	1400897.00 रुपये	एन.ई.एफ.टी.	12.10.2022	BARSD222853 08631
	योग-	1400897.00 रुपये			

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

क्षेत्रीय कार्यालय-पश्चिम उ०प्र०, लखनऊ Regional Office - West UP, Lucknow

3/248, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.)

3/248, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

दूरभाष / Phone : 0522-4960291, टेलीफैक्स / Fax : 0522-4950680

ई-मेल / E-mail : rowestup@nhai.org, rowestup@gmail.com



19001/1/RO-W-UP/NH-02/Km.323+550 to 355+840/UG/ 1208 Date: 14.02.2022

To,

The Project Director,
National Highways Authority of India,
PIU-Kanpur

Sub: Permission for laying & crossing of:-

- Section - 1: 8" dia Natural Gas carbon Steel Pipeline along NH-19 Etawah-Chakeri (Left Side) from Ch.323+550 to Ch.355+840 (Near Reliance Petrol Pump Etawah to near Ajeetmal Bypass) = 32.23 km.
- Section -2: 8" Dia CS Pipeline across NH-19 (Etawah to Chakeri Road) at Ch.330.22 Km. approx.0.06 km.
- Section -2: 8" Dia CS Pipeline across NH-19 (Etawah to Chakeri Road) at Ch.330.86 Km. approx.0.06 km.

- Ref: 1. PD Kanpur letter no.5249 dated 14.05.2021
2. This office OM No. 852 dated 04.08.2021
3. This office letter no.855 dated 04.08.2021
4. PD Kanpur letter no.15203 dated 25.01.2022
5. NHAI/Policy Guidelines/Standard Operating Procedure (SOP) for Access Permission/2020 issued vide Policy Circular No. 14.19/2020 dt. 06.01.2020

Sir,

Based on your recommendation, the approval for crossing permission/NOC for (i) Section - 1: 8" dia Natural Gas carbon Steel Pipeline along NH-119 Etawah-Chakeri (Left Side) from Ch.323+550 to Ch.355+840 (Near Reliance Petrol Pump Etawah to near Ajeetmal Bypass) = 32.23 km., (ii) Section -2: 8" Dia CS Pipeline across NH-19 (Etawah to Chakeri Road) at Ch.330.22 Km. approx.0.06 km. and (iii) Section -2: 8" Dia CS Pipeline across NH-19 (Etawah to Chakeri Road) at Ch.330.86 Km. approx.0.06 km. in the State of Uttar Pradesh is hereby accorded by Competent Authority with directions to follow the MoRT&H Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016. Further, Competent Authority has authorized Project Director on behalf of NHAI for signing of License Agreement with the Applicant under intimation to this office. However, before communicating this permission, PD-Kanpur may satisfy himself that the License Fee is as per MoRT&H Guidelines dated 22.11.2016.

2. The above approval is subject to ensure the compliance of following conditions before according permission:-

- The laying work will be done as per the proposed/agreed location route and as per proposed layout plan.
- The Licensee shall have to provide the safety measures like barricading danger lighting and other necessary caution boards while executing the work.

15-02-22

Received NHAI

16842

प्रधान कार्यालय: जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 • दूरभाष : 91-11-25074100, 200 • वेबसाइट : www.nhai.org
Corporate Office : G-5 & 6, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110075 • Phone : 91-11-25074100/200 • Website : www.nhai.org

समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

Scanned with CamScanner

Authorized Signatory

- (iii) Appropriate fees be levied for use of NH land for laying of Utilities as per Ministry Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016.
- (iv) Undertaking to the following effect may be taken from the applicant and made part of the agreement:-
 - a. Three copies of "As Laid Drawings" of utilities (Hard and Soft copies) shall be submitted to Highway Authorities for verifications and record within a month of completion of works.
 - b. The permission may be terminated immediately on violation of the agreed terms & conditions.
 - c. The execution of the proposal by the Applicant would not hinder the future widening, if any, at the particular location and if required then the applicant would ensure shifting of their utility at their own cost without any liability to NHAI in a time bound manner prescribed by NHAI.
 - d. Ensure that the submitted Agreement is in prescribed format as per Ministry circular No. Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016 for execution with the applicant, and BG be obtained as per the Circular.
 - e. Work programmed from the Applicant may be obtained and ensure timely completion.
 - f. The compliance of various undertakings given by the Applicant may be ensured before and after signing of License Agreement, as the case may be in the interest of safety of road users and NHAI.
- (v) Laying work should be carried out as per Ministry circular No. Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016.
- (vi) It shall be the responsibility of the Applicant to ensure the Safety and maneuverability of Highway Traffic during laying of pipeline.
- (vii) The approval is based on the submissions made by the Applicant as verified by the PD, PIU-Kanpur. The Applicant is responsible for the details provided in the application. The NHAI is at liberty to verify the authenticity of the documents at any time. Any misrepresentations, omission or suppression of facts or disclosure of incomplete facts detected at any stage shall lead to withdrawal of this approval with cost to the applicant.
- (viii) In view of any future development requiring necessary alteration, including complete removal or shifting of the Optical Fibre Cable, the same shall be carried out by the Applicant at its own cost to the satisfaction the Highway Administrator.
- (ix) In case of violation of the norms of Ministry's Guidelines, the NOC automatically stand withdrawn.
- (x) IRC: 98-2011 be complied wherever applicable.

This issues with the approval of RO-West (UP).

C.S.

(अतुल कान्त सुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

(A.P. Singh)
DGM (T)
RO-West, UP

For - TORRENT GAS PVT. LTD
(Authorized Signatory)
Authorized Signatory



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

दूरभाष / Phone : (0512) 2630154
फैक्स / Fax : (0512) 2630214
ई-मेल / e-mail : knp@nhai.org

परियोजना निदेशक का कार्यालय, परियोजना कार्यान्वयन इकाई
Office of the Project Director, Project Implementation Unit
53, बसंत विहार, नौबस्ता, कानपुर - 208021
53, Basant Vihar, Naubasta, Kanpur - 208021

NHAI/13028/PIU/KNP/NH-19/2022/ 9620

Date: 7 Feb, 2022

To,
Authorized Signatory,
M/s Torrent Gas (P) Ltd.,
3rd Floor, Sai Place,
HIG-1B, Chandra Vihar, Lakhanpur,
Kanpur - 208002.

Sub : Permission for laying & crossing of:-

- Section - 1: 8" dia Natural Gas Carbon Steel Pipeline along NH-19 Etawah - Chakeri (Left Side) from Ch. 323+550 to Ch. 355+840 (Near Reliance Petrol Pump Etawah to near Ajeetmal Bypass) = 32.29 Km.
- Section - 2: 8" Dia CS Pipeline across NH-19 (Etawah to Chakeri Road) at Ch. 330.22 Km. approx. 0.06 Km.
- Section - 3: 8" Dia CS Pipeline across NH-19 (Etawah to Chakeri Road) at Ch. 330.86 Km. approx. 0.06 Km.

Ref : RO, Lucknow letter No. 19001/1/RO-W-UP/NH-2/Km.323.550 to 355.840/UG/1208 dtd. 14.02.2022.

Sir,

This is regarding the approval for granting permission for laying & crossing of Section - 1: 8" dia Natural Gas Carbon Steel Pipeline along NH-19 Etawah - Chakeri (Left Side) from Ch. 323+550 to Ch. 355+840 (Near Reliance Petrol Pump Etawah to near Ajeetmal Bypass) = 32.29 Km. and Section 2: 8" Dia CS Pipeline across NH-19 (Etawah to Chakeri Road) at Ch. 330.22 Km. approx. 0.06 Km. & Section - 3: 8" Dia CS Pipeline across NH-19 (Etawah to Chakeri Road) at Ch. 330.86 Km. approx. 0.06 Km. as submitted by you.

In view of above, the Competent Authority has conveyed the approval and further Competent Authority has authorized Project Director on behalf of NHAI for signing of License Agreement with the applicant. The above approval is subject to ensure the compliance of following conditions before according permission:-

- i. It is requested to submit the confirmation of license fee receipt and challan deposited in "Bharat Kosh" through online before signing the License Agreement.
- ii. The laying work will be done as per the proposed/ agreed location route and as per proposed layout plan.
- iii. The Licensee shall have to provide the safety measures like barricading danger lighting and other necessary caution boards while executing the work.
- iv. Appropriate fees be levied for use of NH land for laying of Utilities as per Ministry Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016.
- v. Undertaking to the following effect may be submitted and made part of the agreement:-
 - a) Three copies of "As Laid Drawings" of utilities (Hard and Soft copies) shall be submitted to Highway Authorities for verifications and record within a month of completion of works.
 - b) The permission may be terminated immediately on violation of the agreed terms and conditions.
 - c) The execution of the proposal by the Applicant would not hinder the future widening, if any, at the particular location and if required then the applicant would ensure shifting of their utility at their own cost without any liability to NHAI in a time bound manner prescribed by NHAI.

Contd...2

मुख्यालय : जी-5 और जी-6 सेक्टर, 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075
Head Office : G5 & G6, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110 075
समाजिक विकाश विभाग, नई दिल्ली

TORRENT GAS PVT. LTD.
Authorized Signatory

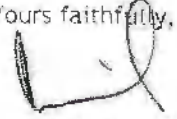
- d) Ensure that the submitted Agreement is in prescribed format as per Ministry Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016 for execution with the applicant, and BG be obtained as per the Circular.
- e) Work programme may be submitted and ensure timely completion.
- f) The compliance of various undertakings given by the Applicant may be ensured before and after signing of License Agreement, as the case may be in the interest of Safety of road users and NHAI.
- (v) Laying work should be carried out as per MoRTH Guidelines dtd. 22.11.2016.
- (vi) It shall be the responsibility of the Applicant to ensure the Safety and manoeuvrability of Highway Traffic during laying of pipeline.
- (vii) The approval is based on the submissions made by the Applicant as verified by the PD, PIU-Kanpur. The applicant is responsible for details provided in the application. The NHAI is at liberty to verify the authenticity of the documents at any time. Any misrepresentations, omission or suppression of facts or disclosure of incomplete facts detected at any stage shall lead to withdrawal of this approval with cost to the applicant.
- (viii) In view of any future development requiring necessary alteration, including complete removal or shifting of the Pipeline, the same shall be carried out by the applicant at its own cost to the satisfaction the Highway Administrator.
- (ix) In case of violation of the norms of Ministry's Guidelines, the NOC automatically stand withdrawn.
- (x) IRC:98-2011 be complied wherever applicable.

Further, the Bank Guarantee No. OGT0009210053519 dtd.31.03.2021 amounting to Rs. 34,29,000/- issued by Axis Bank Ltd., valid upto 30.03.2022, if the work is not completed within time, the same shall be extended by the applicant.

In view of above, it is requested to furnish all the above documents/ undertakings at the earliest, so that the agreement for above work may be executed. It is further requested not to start any construction activity before execution of the agreement.

The above agreement will be executed in triplicate on stamp paper of Rs. 100/- and each part to this agreement may retain original with stamped copy.

Yours faithfully,



(Pankaj Mishra)

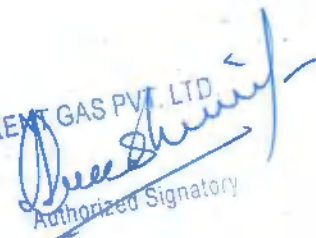
GM (T)-cum-Project Director

Copy to :

1. Team Leader, M/s Stup Consultants (P) Ltd., Shyam Nagar, Kanpur for information.
2. Authorized Signatory M/s Etawah - Chakeri (Kanpur) Highway (P) Ltd., Site Office, Barajod, Kanpur Dehat for information.

C.S.

(अतुल कुमार शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.

Authorized Signatory

प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण-पत्र

जनपद इटावा में प्रस्तावक विभाग मेसर्स टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि० द्वारा इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के किमी सं०-348.000 से 323.55 तक दांयी पटरी पर कुल 1.46265 हे० क्षेत्रफल में भूमिगत गैस पाइप लाईन बिछाई जाने हेतु संरक्षित वनभूमि में गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन के अनुमति के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल इटावा-कानपुर राजमार्ग संख्या-2 (नया राजमार्ग-19) के ROW से आच्छादित है।

स्थान-इटावा

दिनांक-30.01.2023

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा



**कार्यालय वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक संख्या-343/11-सी, दिनांक
14.08.2020 का प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है। तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों नियमों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा
वन प्रभाग, इटावा

For - TORRENT GAS PVT. LTD.
Authorized Signatory

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि०

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
कानपुर वृत्त कानपुर